अनुदान संख्या 70 – कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 70–MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*7,27,00*		*7,60,00*	*7,07,37*	*–52,63*
पूरक	*Supplementary*	*33,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*35,73*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	266,57,00		266,58,00	234,70,26	–31,87,74
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					26,65,73
पूंजीगत:	**Capital:**					
प्रभारित-	*Charged–*			*9,00,00*	*9,00,00*	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	21,16,00		22,64,00	2,35,62	–20,28,38
पूरक	Supplementary	1,48,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					19,70,24

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(52.63 लाख रु.)* दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए *33.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 7 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the c*harged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*Rs.52.63 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.33.00 lakhs* obtained in December, 2005 and constituted 7 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	*O.*	*719.00*			
पू.	*S.*	*33.00*	*716.27*	*703.43*	*–12.84*
पु.	*R.*	*-35.73*			

(I) "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग'' के अंतर्गत *719.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *33.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर 752.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, *48.57 लाख* रु. की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, व्यावसायिकों द्वारा सर्वेक्षण किए जाने में विलंब होने और कम संख्या में चिकित्सा बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "Vigilance - Central Vigilance Commission" - the original *appropriation* of *Rs.719.00 lakhs* was augmented to *Rs.752.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.33.00 lakhs.* However, there was a saving of *Rs.48.57 lakhs* (including supplementary *appropriation*) due to non-filling up of vacant posts, delay in conduct of survey by professionals and receipt of less number of medical bills.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	5596.00	3488.06	3209.31	–278.75
पु.	R.	–2107.94			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	5117.00			
पू.	S.	1.00	4396.23	4401.44	+5.21
पु.	R.	–721.77			

(I) 110.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2070''- "अन्य प्रशासनिक सेवाएं'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs. 110.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2070" - "Other Administrative Services".

(II) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय'' के अंतर्गत 2384.18 लाख रु. की बचत (5556.65 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल सेवा अधिकारियों के संस्थान भवन के निर्माण में विलंब होने, कुछ योजनागत परियोजनाओं के लिए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने, प्रशासनिक सुधार आयोग के क्रियाकलापों की स्थापना/ के प्रारंभ करने में विलंब होने, प्रधानमंत्री सिविल सेवा पुरस्कार के अंतर्गत निधियों का उपयोग न किए जाने और ई-दिशा को लागू करने में विलंब होने, विश्व बैंक परियोजना का विस्तार किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अन्य प्रशिक्षण स्कीमें''- 1044.14 लाख रु. की बचत (2932.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने, विदेश प्रशिक्षण के आंशिक निधीयन के लिए आवेदकों की संख्या कम होने, अतिथि संकाय को कम आमंत्रित किए जाने और पाठ्यक्रमों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(खा) ''परियोजना मूल्यांकन के लिए क्षमता निर्माण''- 149.91 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मूल्य वार्ता समिति द्वारा वित्तीय प्रस्तावों की जांच में विलंब होने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (93.29 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''अन्य व्यय - केंद्रीय सूचना आयोग'' के अंतर्गत अगस्त, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 86.25 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2070'' - ''प्रशिक्षण'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Under Major Head "2052" – "Secretariat-Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" – saving of Rs.2384.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5556.65 lakhs) was due to delay in construction of Civil Service Officers Institute building, in obtaining the approval of Expenditure Finance Committee for some Plan Projects, in setting up/commencement of the activities of the Administrative Reforms Commission, non-utilisation of funds under Prime Minister's Civil Service Award and delay in implementation of e-Disha, extension of World Bank Project.

(III) Under Major Head "2070" - "Training" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Training Schemes" - saving of Rs.1044.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2932.00 lakhs) was due to delay in finalisation of in-service training programmes, less number of applicants for partial funding of foreign training, less engagement of guest faculty and reduction in the number of courses.

(B) "Capacity Building for Project Appraisal"– saving of Rs.149.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to delay in examination of financial proposals by the Price Negotiation Committee.

(IV) Under one head saving of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 50 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.93.29 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in August, 2005 under Major Head "2070" - "Other Expenditure - Central Information Commission". Actual excess, however, was Rs.86.25 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2070" - "Training" - under the following heads:-

(का) ''लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी''- 416.63 लाख रु. का अधिक व्यय (895.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किराया, दरों और करों के बकाया की अदायगी किए जाने, न्यायालयीन मामलों में वृद्धि होने, नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किए जाने और अधिक दैनिक मजदूरों को काम पर लगाए जाने के कारण हुआ।

(A) "Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" – excess of Rs.416.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.895.50 lakhs) was due to payment of arrear of rent, rates and taxes, increase in court cases, introduction of new training progammes and engagement of more daily wagers.

(खा) ''लोक प्रशासन में क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना''- 191.80 लाख रु. का अधिक व्यय (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को पूरा करने के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "UNDP Project for capacity building in Public Administration" – excess of Rs.191.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for completion of the scheme.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2028.38 लाख रु.) दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए 148.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 90 प्रतिशत थीं।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2028.38 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.148.00 lakhs obtained in December, 2005 and constituted 90 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	2007.00			
पू.	S.	148.00	163.76	147.29	–16.47
पु.	R.	–1991.24			

(I) ''अन्य व्यय - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो'' के अंतर्गत 2007.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 148.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2155.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2007.71 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से निर्माण कार्यकलापों के देर से शुरू किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure- Central Bureau of Investigation"- the original provision of Rs.2007.00 lakhs was augmented to Rs.2155.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.148.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2007.71 lakhs (including supplementary grant) due to late commencement of construction activities owing to delay in obtaining the approval of the Expenditure Finance Committee.